R.M.M. Law-College. Saharsa

Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Teacher, sub. Evi

फरारी ! —

मात्र फरारी से दोषी मनोवृत्ति का निश्चयात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कोई निर्दोष व्यक्ति भी, जब उस पर गलत सन्देह किया जाता है। भयभीत होकर गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग सकता है। अपराध के ठीक पश्चात अभिकथित अभियुक्त व्यक्ति का फरार हो जाना अपने आप में साक्ष्य नहीं है। फरार होना स्वयं के दोषिता या दोषी अन्तरात्मा का निश्चायक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपराध में अन्तर्वलित हो जाने के भय के कारण या सम्बद्ध किसी और कारण से फरार हो सकता है।" फरारी अन्य साक्ष्य के साथ विचारण में ली जा सकती है, किन्तु उसको क्या महत्व मिलना चाहिए यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगा। सामान्यतः इस तथ्य का महत्व कम होता है। इसे ऐसी कड़ी नहीं माना जा सकता जो अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को इस भाँति पूरी कर दे। कि अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य तर्कसंगत अनुमान की गुंजाइश हो न रहे।

जब अभियुक्त परिवादी (complainant) के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दर्ज तक था और उसके बाद

यह ज्ञात हुआ कि उनके ऊपर गलत सन्देह किया जाता है अतः उनके अपने को छिपाने का प्रयास किया है तो यह तथ्य निश्चय रूप से उनकी दोषी मनोवृत्ति नहीं माना जाता है।

किसी को फंसाने के लिये कोई झूठ मूठ की जानकारी या साक्ष्य मौलिक देखी सकता है। अपना उन लोगों की बहुत पूर्व से किसी बात को लेकर या पारिवारिक किसी विरोधपूर्ण भावना चलता कलह रहा हो या पहले भी कोई रहा हो या बाद विवाद जमीन को लेकर या रंजिश रहा हो तो लोग अभियुक्त न होते हुए भी यह हो सकता है। और चाहें जाने या साक्ष्य या कागजात जानबूझकर गलत से लोग फंसा सकता है।